न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 147/2016

1. नन्दराम पुत्र मुरलीधर जाति नाई निवासी गांव साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्ट

उपस्थितः— 1. श्री भीमनाथ सिद्व अधिवक्ता अपीलांट
2. राज पैरोकार

न्यायालय सहायक कलैक्टर तारानगर जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2016 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः— 22.06.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर तारानगर जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2016 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादग[illegible] भूमि ख0न0 483 का रहा है इस खेत के पूर्वी उतरी [illegible] 365 [illegible]मीन जिसके वर्तमान ख0न0 477 गत पेमाईश में कायम किये ग[illegible] उसकी 6.02 बीघा [illegible] गांव साहवा तहसील तारानगर में स्थित है । जिसमें अधिनस्थ न्या[illegible] ने अपीलांट/वादी का दावा खारिज कर विवादित कृषि भूमि ख0न0 477

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

तादादी 6.02 बीघा की भूमि आराजीराज दर्ज कर दी जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत की है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट/वादी की खातेदारी भूमि खेत ख0न0 483 वाके रोही साहवा विवादित भूमि ख0न0 477 तादादी 6.02 बीघा पर सम्वत 2007 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित ख0न0 पूर्व ख0न0 483 का ही हिस्सा रहा है । सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0न0 1548/477 के पूरे भाग को गोचर में दर्ज कर दिया जिसमें अपीलांट/वादी की 6.02 बीघा भूमि को ही शामिल कर लिया गया जो सर्वथा गलत व नियमों के विपरित है । अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त गत 45 वर्षो से चला आ रहा है उक्त गलत अंकन होने से अपीलांट/वादी के वैध अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडने लगा है । इसलिये रेकार्ड दुरूस्ती हेतु धारा 80 सीपीसी का नोटिस रेस्पो0/प्रतिवादी को दिया गया मगर उनके द्वारा न तो रेकार्ड दुरूस्त किया गया और ना ही कोई प्रतिउतर दिया गया । तदुपरांत अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु एक दावा पेश किया गया जिसमें अपीलांट/वादी द्वारा जमाबंदियां, गिरदावरी आदि के समस्त साक्ष्य व सबुत पेश कर वादगत कृषि भूमि उनके कब्जे व काश्त की भूमि रहने व कभी भी गोचर भूमि नही रहने हेतु पेश किये गये । वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 483 का ही भाग रहा है व एकल खेत रहा है जिसके बिच कभी भी कोई भी सींव नही रही है जिस हेतु पडोसियांन व नकल गिरदावरियों के आधार पर वादगत भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त सदैव से चला आ रहा है को भी साबित किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी साक्ष्य सबुतो को नकारते हुऐ केवल मात्र भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विवादित कृषि भूमि को अराजीराज गैरमुमकिन गोचर में शामिल कर दी जो कानून विरूद्व है । अपीलांट/वादी के द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य भलींभांती प्रमाणित होता है कि वादगत भूमि जिसके साबित ख0न0 363 मीन थे और उसका रकबा 76.16 बीघा का था जिसमें से 6.02 बीघा भूमि उतरी पूर्व तरफ पर कब्जा व काश्त सम्वत 2007 से अपीलांट/वादी का रहा है और गत बंदोबस्त दौरान गलत इन्द्राज हुआ है जिसको दुरूस्त करवाने का अधिकार अपीलांट/वादी को रहा है परतुं अधिनस्थ न्याया[illegible] अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंदित भूमि कहकर अपील[illegible]का दावा खारिज करने की अहम भूल की है अतः उपरोक्त तमाम तथ्यों [illegible]धार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खा[illegible] किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो/प्रतिवादी जवाब में निवेदन किया कि

अपीलांट/वादी द्वारा कब्जा काश्त होना गलत अंकित हुआ है पूर्व में भूमि अपीलांट/वादी के वारिसानों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा काश्त कर लिया था । इस आधार पर अपीलांट/वादी अपना कब्जा करना चाहता है जो गलत व गैर कानूनी है। राजस्व रेकार्ड में हर वर्ष अपीलांट/वादी द्वारा अनाधिकृत कब्जा बताते आ रहे है । अपीलांट/वादी व इनके वारिसानें को कई बार कब्जा खाली करने के नोटिस दिये जा चुके है । वादगत भूमि गेर मुमकिन गोचर भूमि है साबिक ख0न0 483 से हाल ख0न0 1548/477 नही बने है और अपीलांट/वादी का सम्वत 2007 से विवादित भूमि पर अवैध कब्जा काश्त होना बताया है जो रेकार्ड से प्रमाणित नही होता है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2016 जारी की है जो कानूनन रूप से सही है अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवम अपीलांट/वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2047, 2039 से 2042, 2067 से 2070, 2023 से 2026, 2012 से 2015 नकल गिरदावरी सम्वत 2039 से 2041,2035 से 2037, 2031 से 2033, 2025 से 2027, 2023 से 2024 व से 2046 मिलान क्षेत्रफल, के अवलोकन से यह साबित होता है कि उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी व उसके पूर्वजो के कब्जा काश्त की भूमि रही है तथा विवादित खसरा भूमि जो राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि छोडी गयी है के चारो तरफ खेत खातेदारी की भूमि है जिसमें पशुओं के आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है और विवादित कृषि भूमि को अपीलांट/वादी सम्वत 2007 से आज तक अपने कब्जे काश्त में ले रखी है तथा आदिनांक तक उसके द्वारा काश्त की जा रही है । जमाबंदी संवत 2012 से 2015 भूप्रबन्ध विभाग प्रतिलिपि संवत 2018 से 2020 के अवलोकन से नया ख0न0 477 का पुराने ख0न0 363 मीन से बना जाना प्रतीत होता है जिसे अपीलांट/वादी द्वारा उक्त ख0न0 483 से बना जाना अपने वाद में गलती से अंकित कर दिये जाने पर वह अधिनस्थ न्यायालय में यह प्रमाणित किये जाने में असफल रहा चूंकि वादगत अराजी का पुराना ख0न0 363 मीन से बना प्रतीत होता है ऐसी सुरत में ख0न0 483 की बजाय ख0न0 363 मीन से नवीन ख0न0 477 बना है । आज भी वादगत भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2020 में पैमाईस के दोरान सिवायचक भूमि को गैरमुमकिन गौचर दर्ज कर दिया गया भूप्रबन्ध विभाग को प्रविष्टियां हुबहु दर्ज करने का अधिकार होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि की किश्म बदल कर सिवाय चक की जगह गोचर दर्ज करन का अधिकार नही था । इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग ने किश्म बदलकर त्रुटि की है यह शुधार योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रथमतयः तहसीलदार साहवा को आदेश दिया जाता है कि विवादित ख0न0 363 मिन से बने वर्तमान ख0स0 477 जो पेमाईस से पहले सिवाय चक दर्ज था को गोचर के स्थान पर पुनः सिवायचक दर्ज करें । चूंकि सम्वत 2012 की जमाबंदी (खेवट खतौनी) के अवलोकन से स्पष्ट प्रतित होता है कि ख0स0 363 मीन जिससे खसरा 477 बना है में उक्त भूमि अपीलांट के नाम खुदकाश्त दर्ज है और आदिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार तत्समय ही खातेदारी पाने के अधिकारी हो गये थे ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2016 को खारिज किया जाता है । तहसीलदार तारानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को वादगत भूमि ख0न0 477 तादादी 6.02 बीघा रोही ग्राम साहवा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियम, उपनियम व परिपत्रों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुऐ खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की कार्यवाही करे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो अधिनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 22.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested